Bihar Special School Teacher Eligibility Test (BSSTET-2023)

BSSTET 2023-Exam Pattern

ResultBharat.com

2. परीक्षा के विषय : बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में दो पत्र होंगे :–

(क) **प्रथम पत्र**– वर्ग 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए।

(ख) **द्वितीय पत्र**– वर्ग 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए।

(ग) **प्रथम एवं द्वितीय पत्र**– वैसे व्यक्ति जो वर्ग 1 से 8 तक के दोनो स्तर में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हों उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।

प्रथम पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक:–

क्र०सं०	विषय	कुल प्रश्न	कुल अंक	परीक्षा अवधि
(i)	बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ)	30 प्रश्न	30 अंक	150 मिनट
(ii)	भाषा I, अनिवार्य (हिन्दी/उर्दू/बांग्ला में से कोई एक)	30 प्रश्न	30 अंक	
(iii)	भाषा II, अनिवार्य (अंग्रेजी)	30 प्रश्न	30 अंक	
(iv)	गणित	30 प्रश्न	30 अंक	
(v)	पर्यावरण अध्ययन	30 प्रश्न	30 अंक	
	कुल	150	150	

द्वितीय पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक:–

क्र०सं०	विषय	कुल प्रश्न	कुल अंक	परीक्षा अवधि
(i)	बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ)	30 प्रश्न	30 अंक	150 मिनट
(ii)	भाषा I, अनिवार्य (हिन्दी/उर्दू/बांग्ला में से कोई एक)	30 प्रश्न	30 अंक	
(iii)	भाषा II, अनिवार्य (अंग्रेजी/हिन्दी/उर्दू/बांग्ला/संस्कृत) भाषा I में चुने गये विषय को छोड़कर उपर्युक्त में से कोई एक	30 प्रश्न	30 अंक	
(iv)	गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान	60 प्रश्न	60 अंक	
	कुल	150	150	

ResultBharat.com

प्रथम पत्र के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा–1 से 5 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर (Level of Difficulty) एवं लगाव (Linkage) माध्यमिक स्तर का हो सकता है। इसी प्रकार **द्वितीय पत्र** के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा–6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लगाव उच्चत्तर माध्यमिक स्तर का हो सकता है।

3. **परीक्षा का पैटर्न** :–

(क) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple Choice Questions) होंगे। **(ख)** प्रत्येक पत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। **(ग)** प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा। **(घ)** निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। **(ड़)** परीक्षा की अवधि 150 मिनट अर्थात 2:30 घंटा (दो घंटा तीस मिनट) की होगी। **(च)** परीक्षा Computer Based Test (CBT) माध्यम से आयोजित की जाएगी।

4. **उत्तीर्णांक** :–

(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 का उत्तीर्णांक निम्नवत् होगा :–

सामान्य	–	**50% अंक**
पिछड़ा वर्ग	–	**45.5% अंक**
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	**42.5% अंक**
अनु0 जाति / अनु0 जनजाति	–	**40% अंक**
दिव्यांग	–	**40% अंक**
महिला	–	**40% अंक**

5. **पाठ्यक्रम** :– **पत्र–I (कक्षा 1-5 तक के पाठ्यक्रम) एवं पत्र–II (कक्षा 6-8 तक के पाठ्यक्रम)** समिति की वेबसाईट पर वेबसाईट **https://www.bsebstet.com/** पर उपलब्ध है, जहाँ से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं।

6. **अनिवार्य अर्हता**:

(क) आवेदक भारत का नागरिक हो। **(ख)** बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता / अर्हताधारी उम्मीदवार बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 के आवेदक हो सकते हैं। **(ग)** **आयु सीमा** :– **(i)** बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 अन्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट–ऑफ तिथि 01.08.2023 होगी। **(ii)** बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 अन्तर्गत वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कट–ऑफ तिथि 01.08.2023 को आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। **(iii)** अधिकतम आयु–अनारक्षित (पुरूष)–37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष, महिला)–42 वर्ष है। **(iv)** पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत वैसे शिक्षक, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त्त) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्रावधानों के तहत विशेष विद्यालय अध्यापक की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता रखते हों, के लिए अधिकतम आयु शिथिल रहेगा। **(v)** सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–962 दिनांक–22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगजनों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। **(vi)** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–5374 दिनांक 02.04.2013 के आलोक में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **(घ)** बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

ResultBharat.com